आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई०सी०डी०एस० पुनरीक्षण वाद संख्या – 89/2021

रोशनी राज

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
18.05.2023	प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के वाद सं०–115/2020 में दिनांक 07.10.2021 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वर्ष 2019 में बाल विकास परियोजना, रामनगर, पश्चिम चम्पारण, बेतिया अंतर्गत ग्राम पंचायत राज–सोनखर के वार्ड सं०–12 में अवस्थित आंगनबाड़ी केन्द्र सं०–220 पर बाहुल्य वर्ग पिछड़ा वर्ग के लिए आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के पद पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। इसके बाद दिनांक 19.09.2019 को आम सभा हुआ। आम सभा में विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) का चयन हुआ जबकि वह वार्ड सं०–11 की निवासी थी। फिर भी महिला पर्यवेक्षिका द्वारा चयन मार्गदर्शिका के विरूद्ध जाकर विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) का चयन कर लिया। उक्त चयन के विरूद्ध वादी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रामनगर, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के समक्ष वाद सं०–02/2019–20 दायर किया एवं विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) पर आरोप लगाया कि विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) के परिवार के	

WEB COPY NOT OFFICIAL

सदस्यों का नाम वर्ष 2016 के मतदाता सूची में वार्ड सं०–12 में नहीं बल्कि वार्ड सं०–11 में दर्ज है तथा विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) केन्द्र सं०–220 के पोषक क्षेत्र की भी नहीं है क्योंकि केन्द्र सं०–220 के मैपिंग पंजी में उनका (श्रीमती सलोनी कुमारी) या उनके परिवार का नाम नहीं है। आगे वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) के पति वर्ष 21016 में ग्राम पंचायत राज सोनखर, पश्चिम चम्पारण में वार्ड सं०–12 से वार्ड सदस्य के पद पर चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल किया तथा उक्त नामांकन पत्र में वार्ड सं०–11 का स्थायी निवासी होना दर्ज किया गया है तथा मतदाता सूची के क्रमांक 369 पर उनका नाम दर्ज है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) वार्ड सं०–11 की निवासी है। आंगनबाड़ी केन्द्र सं०–220 जो केवल वार्ड सं०–12 से बना है जिस पर केवल वार्ड सं०–12 के निवासी का चयन होना चाहिए। वादी के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) के चयन में चयन मार्गदर्शिका–2019 के कंडिका 5 का उल्लंघन किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि ग्राम पंचायत राज सोनखर के उप मुखिया एवं वार्ड सदस्य ने लिखित रूप से प्रमाण–पत्र दिया है कि विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) के पति, ससुर व सास वार्ड सं०–11 की निवासी है। आगे वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने वादी के दावा को सही पाते हुए उनके आवेदन को स्वीकृत करते हुए विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) के चयन को रद्द कर दिया। उक्त के विरूद्ध विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के न्यायालय में अपील वाद

WEB COPY NOT OFFICIAL

	सं०–115/2020 दायर किया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया ने सुवाई के क्रम में महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती मनोरमा देवी से विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) के स्थायी निवासी होने संबंधी प्रतिवेदन की मांग की जिस पर महिला पर्यवेक्षिका ने गलत रूप से विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) के मेल में आकर प्रतिवेदित किया कि विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) वार्ड सं०–12 की निवासी है क्योंकि इन्होंने वर्ष 2011 के पंचायत मतदाता सूची में वार्ड सं०–12 में उनके परिवार का नाम दर्ज है का प्रतिवेदन दिया। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण ने अपने आदेश दिनांक 07.10.2021 में गलत रूप से उल्लेख किया की आंगनबाड़ी केन्द्र सं०–220 के मैपिंग पंजी मे विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) का नाम दर्ज है। जबकि विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) के परिवार के किसी भी सदस्य का नाम मैपिंग पंजी में नहीं है। सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, ने गलत नाम देने के लिए मैपिंग पंजी के साथ छेड़–छाड़ कर मैपिंग पंजी में विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) के ससुर का नाम जोड़ा है ताकि विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) का चयन किया जा सके। क्योंकि सूचना के अधिकार के तहत एंव निम्न न्यायालय में भी वादी के विद्वान अधिवक्ता ने जो मैपिंग पंजी दाखिल किया है, उसमें विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) के परिवार का नाम नहीं है। इस प्रकार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) को गलत तरीके से अपने आदेश दिनांक 07.10.2021 के द्वारा चयन मार्गदर्शिका के कंडिका–05 का उल्लंघन करते हुए गलत जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आदेश	

WEB COPY NOT OFFICIAL

पारित किया है जो स्पष्टतः निरस्त होने योग्य है।

विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र सं०–220 पर जो आवेदन प्राप्त किये गये थे उस आवेदन के आधार पर मेधा सूची प्रकाशित किया गया एवं उक्त मेधा सूची के क्रमांक 01 पर विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) का नाम दर्ज था। दिनांक 19.09.2019 को आम सभा बुलाई गयी तथा आम सभा में विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) चयन संबंधी सभी अर्हता पूर्ण करते थे इसलिए सर्व सहमति से उक्त केन्द्र पर विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) का चयन किया गया। विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) रिक्त वार्ड सं०–12 की निवासी है और मैपिंग पंजी के पृष्ठ सं०–10 के क्रमांक 14 पर उनके (श्रीमती सलोनी कुमारी) ससुर का नाम दर्ज है। आम सभा में भी चयन समिति ने पाया की विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) कई वर्षों से वार्ड सं०–12 के निवासी है तथा वर्ष 2006 एवं 2011 के पंचायत मतदाता सूची में उनके ससुर श्रीनाथ साह का नाम रिक्त वार्ड सं०–12 में दर्ज है। आगे विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि चुनावी रंजिश के कारण वर्ष 2016 के मतदाता सूची में विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) के पूरे परिवार का वार्ड सं०–11 में कर दिया गया जिसके विरोध में विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) के पति विजय कुमार साह ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया था। आगे विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने महिला पर्यवेक्षिका से स्थल जाँच करवाया एवं स्थल जाँच कर महिला पर्यवेक्षिका ने प्रतिवेदित किया की विपक्षी

WEB COPY NOT OFFICIAL

	सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) वार्ड सं०–12 की निवासी है, एवं वादी (श्रीमती रोशनी राज) के घर के सामने विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) का घर पाया। साथ ही वर्ष 2011 के मतदाता सूची में विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) का नाम वार्ड सं०–12 में पाया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बगहा–01 ने भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने मौखिक आदेश पर स्पष्ट मंतव्य दिया की आम सभा में चयन मार्गदर्शिका–2019 के कंडिका–05 के आलोक में विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) का चयन किया गया है एवं उनका घर भौतिक रूप से वार्ड सं०–12 में है। आगे विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि ICDS निदेशक के पत्रांक 4656 दिनांक 23.09.2020 के मार्गदर्शिका में स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि विभागीय चयन मार्गदर्शिका–2019 पत्रांक 286/मु० दिनांक 27.05.2019 के कंडिका–05 में स्पष्ट प्रावधानित है कि आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के अभ्यर्थी का घर भौतिक रूप से रिक्ति वाले वार्ड में हैं और वह वहां रही है, लेकिन उनका नाम भौतिक अंतिम पंचायत मतदाता सूची में छुट जाता है तो ठीक पूर्ववर्ती पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची में अंकित होना चाहिए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) को वार्ड 12 की निवासी होने के बावजूद उनके चयन को रद्द कर दिया जो गलत है एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश सहीं है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बगहा–01 से जाँच कराते हुए अपना आदेश पारित किया है जो सही है।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

उभय पक्षों को उनके विद्वान अधिवक्ता, विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2019 में बाल विकास परियोजना, रामनगर, पश्चिम चम्पारण अंतर्गत ग्राम पंचायत राज–सोनखर के वार्ड सं०–12 में अवस्थित आंगनबाड़ी केन्द्र सं०–220 पर आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के पद पर चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ, जिसमें उभय पक्षों के द्वारा आवेदन दिया गया। उभय पक्षों के बीच विवाद का मुख्य बिंदु वार्ड सं०–12 के निवासी होने अथवा नहीं होने का है। इस संबंध में अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) तथा उनके परिवार के सदस्यों का नाम वर्ष 2016 के अंतिम पंचायत मतदाता सूची में ग्राम पंचायत राज–सोनखर के वार्ड सं०–12 में नहीं है बल्कि वर्ष 2011 के पंचायत मतदाता सूची के वार्ड सं०–12 में दर्ज है क्योंकि विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि ग्रामीण रंजिश के कारण विपक्षी संख्या–04 के परिवार का नाम वार्ड संख्या–11 में कर दिया गया था एवं जिसके लिए वे आवेदन भी दिये थे। साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्र सं०–220 के मैपिंग पंजी में भी उनका (सलोनी कुमारी) नाम नहीं है जो कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के आदेश दिनांक 29.09.2020 से स्पष्ट है। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त मैपिंग पंजी दाखिल किया गया है उसमें भी उनका नाम नहीं है। जबकि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया ने अपने आदेश में अंकित किया है कि मैपिंग पंजी में विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) का नाम होने के कारण उनका चयन कर लिया गया है एवं विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) के विद्वान

WEB COPY NOT OFFICIAL

अधिवक्ता ने जो मैपिंग पंजी दाखिल किया है उसके पृष्ठ 10 क्रमांक 14 पर विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) के ससुर का नाम अंकित है परंतु निम्न न्यायालय के अभिलेख के पृष्ठ सं0–82 पर जो मैपिंग पंजी रक्षित है उसमें विपक्षी संख्या–04 के ससुर का नाम नहीं है जिससे परिलक्षित होता है कि मैपिंग पंजी में छेड़–छाड़ किया गया है। क्योंकि विपक्षी संख्या–04 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो मैपिंग पंजी दाखिल किया गया है उसमें Handwritting, Penstroke एवं Ink सब different है। इस प्रकार वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी सं०–04 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल मैपिंग पंजी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा गलत लाभ पहुँचाने हेतु मैपिंग पंजी में छेड़–छाड़ कर विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) का चयन करने हेतु आधार बनाया है। मैपिंग पंजी में छेड़–छाड़ करना एक गंभीर प्रकृति का आरोप है। अतएव इस बात की जाँच करना आवश्यक है कि किस स्तर से ऐसी गड़बड़ी हुई है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) के पति द्वारा वर्ष 2016 में वार्ड सदस्य के चुनाव हेतु भरे गये नामांकन पत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया है कि वे वार्ड सं०–11 की निवासी है। जिससे विपक्षी सं०–04 (श्रीमती सलोनी कुमारी) का यह दावा मान्य नहीं हो सकता है कि वे वार्ड सं०–12 की निवासी है। अब जहाँ तक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा महिला पर्यवेक्षिका से जाँच करवाने का प्रश्न है तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि महिला पर्यवेक्षिका द्वारा किये गये जिस जॉच को आधार बनाया गया है उसका कोई भी प्रतिवेदन निम्न न्यायालय के न तो अभिलेख में संधारित है और न ही निम्न न्यायालय के आदेश फलक में कहीं

WEB COPY NOT OFFICIAL

अंकित है । केवल जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश में उस जॉच प्रतिवेदन का जिक्र है। फिर भी उस जॉच प्रतिवेदन को मान भी लिया जाए तो भी वह जॉच प्रतिवेदन गलत है। क्योंकि चयन मार्गदर्शिका–2019 के नियम 05 में स्पष्ट रुप से अंकित है कि ***"यदि आवेदिका का घर भौतिक रुप से रिक्त वाले वार्ड (ग्रामीण क्षेत्र)/पोषक क्षेत्र (शहरी क्षेत्र) में है और वह वहॉ रह रही है, लेकिन उनका नाम अंतिम पंचायत चुनाव/अंतिम नगर निकाय चुनाव मतदाता सूची में यदि किसी कारण छुट गया तो उनका या उनके पति या ससुर का नाम अंतिम पंचायत चुनाव/अंतिम नगर निकाय चुनाव के ठीक पूर्ववर्ती नगर निकाय चुनाव की अंतिम मतदाता सूची में अवश्य अंकित होना चाहिए।"*** इसलिए सर्वप्रथम जॉच में वर्ष 2016 के मतदाता सूची को देखना है उसमें नाम नहीं होने पर तब वर्ष 2011 के मतदाता को सूची देखना है। जबकि वर्ष 2016 के मतदाता सूची में वार्ड संख्या–12 में विपक्षी संख्या–04 (सलोनी कुमारी) का नाम होने के बावजूद उसे नजर अंदाज कर वर्ष 2011 के मतदाता सूची के आधार पर जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जिस आधार पर निम्न न्यायालय ने आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश को त्रुटिपूर्ण पाते हुए उसे निरस्त किया जाता है तथा प्रस्तुत वाद स्वीकृत किया जाता है। ***साथ ही जिला पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण, बेतिया को निदेश दिया जाता है कि उक्त वाद में मैपिंग पंजी में छेड़–छाड़ किस स्तर से हुआ है की जॉच करवाते हुए संबंधित दोषी कर्मी/पदाधिकारी पर एक माह के अंदर नियमानुसार कार्रवाई करने के निदेश के साथ प्रस्तुत वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।*** इस आदेश की प्रति जिला

WEB COPY NOT OFFICIAL

	पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को दें। *आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।* **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त** **ज्ञापांक :–** **मुज०/दिनांक :–** **प्रतिलिपि :–सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।** **आयुक्त,** **तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।**	

WEB COPY NOT OFFICIAL